पटना जागरण

बगैर एनओसी अब नहीं बेच सकेंगे फ्लैट

राज्य ब्यूरो, पटना : नगर निकायों से अपार्टमेंट और कॉमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण पूरा होने की एनओसी लिए बगैर फ्लैट, ऑफिस एवं दुकान बेचने वाले बिल्डरों की अब खैर नहीं है। ऐसे प्रॉपर्टी ब्रोकर, बिल्डर, प्रमोटर और डेवलपरों की मनमानी पर शिकंजा कसने की तैयारी है। रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) के चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह ने फ्लैट खरीदारों की शिकायतों पर बिल्डरों की मनमानी को गंभीरता से लिया है। अमानुल्लाह ने बिल्डरों की एक-एक करतूत की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। उन्होंने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद को पत्र लिखकर बिल्डरों और अरबन लोकल बॉडी जैसे नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अलावा क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों की एक-एक हेराफेरी से अवगत कराया है।

रोक दिया जाएगा बिजली-पानी

बिल्डर अब नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों से बगैर एनओसी लिए फ्लैट नहीं बेच सकेंगे। उन्होंने लिखा है कि नगर निकायों को इस बात के लिए ताकीद करें कि वह अपने क्षेत्र में बनने वाले अपार्टमेंट और कॉमर्शियल बिल्डिंग के निर्माण में बिल्डिंग बायलॉज का अनुपालन सुनिश्चित करें। अमानुल्लाह ने बताया है कि नक्शा पास कराने के बाद

शिकंजा

- रेरा चेयरमैन ने शासन को पत्र लिखकर बिल्डरों की हेराफेरी की ओर आकृष्ट किया ध्यान
- प्रॉपर्टी ब्रोकर, बिल्डर और डेवलपरों की मनमानी के साथ नगर निकायों की लापरवाही गिनाई

बिल्डर कायदे-कानून की अनदेखी कर अपार्टमेंट में स्वीकृत नक्शा से अधिक फ्लैट बना रहे हैं, फ्लैट की ऊंचाई बढ़ा दे रहे हैं। पार्किंग नहीं छोड़ रहे हैं। कायदे-कानून की अनदेखी करने वाले बिल्डरों के अपार्टमेंट में बिजली, पानी कनेक्शन, सीवरेज और ड्रेनेज कनेक्शन सुविधा रोकने का भी सुझाव दिया है।

हवा-हवाई हो गई अस्पताल की आपातकालीन व्यवस्था

बिल्डर आपातकालीन व्यवस्था योजना तक को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी तैयार नहीं करवाया गया जबकि क्लियरेंस में इस शर्त को सबसे अहम माना गया है।